

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
इ
क

113-25

उभयपक्ष अनुपस्थित । न्यायालय समय पें कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया । अतः वादपत्र / प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है । पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो ।

